फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

पुखराज बनाम गुलाबाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 43 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
13.02.17	प्रार्थी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। वकील प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी की पैतृक कब्जा काश्तशुदा कृषि भूमि मौजा छीतर का पार पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु में आई हुई है। प्रार्थी की कब्जा काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण बाधा, हस्तक्षेप करने व भूमि पर कच्चा–पक्का निर्माण करने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थी को आगामी पेशी तारीख 10.04.2017 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा छीतर का पार पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु के खसरा नम्बर 556/252 रकबा 30.00 बीघा भूमि में विप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, व्यवधान कारित नहीं करें, न ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण व ना ही पुरानी माठो को तोड़े तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 10.04.2017 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
9.6.2020	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादी के अधिवक्ता (मूलवाद) में Adv. श्री खेताराम ने Not Press किया है। लिहाजा प्रार्थना पत्र Not Press में खारिज किया जाता है। स्थगन समाप्त किया जाता है। Covid-19 [illegible] कारण रेस्टोरेशन का अवसर मूलवाद में दिया [illegible] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु 9.6.2020	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:04:48 IST
Reason: SelfAttested